न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, चौमूं (जयपुर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट मुख्यालय चौमूं)

मु.न. 74/2015

1 श्रवण कुमार नायक पुत्र रामू नायक, जाति नायक, निवासी कालाडेरा, तह0 चौमूं, जिला जयपुर।

वादी/प्रार्थी

बनाम

1. सुरजमल पुत्र रामू नायक
2. गीता देवी पुत्री स्व. बल्लू नायक पत्नि ओमप्रकाश

3/1. बन्टी माता स्व. कमला देवी पुत्री स्व. बल्लू नायक

3/2. भगवती माता स्व. कमला देवी पुत्री स्व. बल्लू नायक

4. मोहन पुत्र स्व. बल्लू नायक
   समस्त जाति नायक, निवासी कालाडेरा, तह0 चौमूं, जिला जयपुर।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार महोदय, चौमूं, तह. चौमूं, जिला जयपुर।
6. उपपंजीयक महोदय, चौमूँ, उपपंजीयन कार्यालय, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
7. देना बैंक जरिये शाखा प्रबन्धक देना बैंक, शाखा कालाडेरा, तह. चौमूं, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

<u>दावा बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा</u>

निर्णय दिनांक 19.05.2018

पत्रावली आज कोर्ट कैम्प मुख्यालय चौमूं में पेश हुई। व.फ.उपस्थित। इस न्यायालय का आदेश दिनांक 16.04.2018 को उक्त वाद में प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार चौमू को वाद में विभाजन प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया था। डिक्री की पालना में तहसीलदार चौमू से कुरेजात प्राप्त हो चुके है। जिस पर कैम्प कोर्ट में पक्षकारों के मध्य हुये राजीनामें में तहसीलदार चौमूं से प्राप्त कुरेजात के अनुसार दावा डिक्री करने के लिए कहा गया। वकील उभयपक्षों की बहस सुनी गई। वकील उभयपक्षों ने अपनी बहस मे कथन किया किया है कि वाद में तहसीलदार चौमू द्वारा प्राप्त कुरेजात अनुसार पक्षकारों के मध्य अन्तिम रूप से बटवारा किया जाकर अन्तिम डिक्री जारी की जावे। हमने राजीनामें एवं बहस पर मनन किया तथा प्राप्त कुरेजात का अवलोकन किया। तहसीलदार चौमू द्वारा प्राप्त कुरेजात में वकील उभयपक्षों को कोई एतराज नही है तथा कुरेजात अनुसार दावें को अन्तिम डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया हैं।

अतः तहसीलदार चौमूं द्वारा प्राप्त कुरेजात स्वीकार की जाती है तथा पक्षकारों के मध्य अन्तिम रूप से डिक्री की जाती है:– यह की विवादित भूमि के हाल आराजी खसरा नम्बर 2341/3 रकबा 1.20 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2342 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2343/2 रकबा 1.51 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2344 रकबा 1.01 हैक्टेयर कुल किता 4 का कुल रकबा 3.74 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम कालाडेरा, तहसील चौमूं जिला जयपुर में स्थित है जिसका मुताबिक कुरेजात तहसीलदार चौमू द्वारा खाता विभाजन खातेदारों के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

1. श्रवणकुमार पुत्र रामू जाति नायक सा. देह खातेदार राहिन देना बैंक शाखा कालाडेरा को ख.न. 2341/3 रकबा 0.67 हैक्ट., ख.न. 2343/2 रकबा 0.20 हैक्ट. कुल किता 2 का कुल रकबा 0.87 हैक्ट., जो संलग्न नजरी नक्शे में गहरे हरे रंग से दर्शाया गया है, दी जाती हैं।

उप खण्ड अधिकारी
चौमू जिला–जयपुर

Scanned by CamScanner

2. सुरजमल पुत्र रामू जाति नायक सा. देह खातेदार को ख.न. 2341/5 रकबा 0.02 हैक्ट., ख.न. 2341/6 रकबा 0.42 हैक्ट., ख.न. 2343/6 रकबा 0.22 हैक्ट., ख.न. 2344/2 रकबा 0.21 हैक्ट. कुल किता 4 का कुल रकबा 0.87 हैक्ट.., जो संलग्न नजरी नक्शे मे नीले रंग से दर्शाया गया है, दी जाती हैं।
3. मोहनलाल दत्तक पुत्र बल्लु जाति नायक सा. देह खातेदार को ख.न. 2343/3 रकबा 0.31 हैक्ट., ख.न. 2343/5 रकबा 0.61 हैक्ट., ख.न. 2344/1 रकबा 0.80 हैक्ट., ख.न. 2342 रकबा 0.02 हैक्ट. कुल किता 4 का कुल रकबा 1.74 हैक्ट.., जो संलग्न नजरी नक्शे मे तोतिया रंग से दर्शाया गया है, दी जाती हैं।
4. श्रवणकुमार पुत्र रामू हि. 1/4 राहिन देना बैंक शाखा कालाडेरा, सुरजमल पुत्र रामू हि. 1/4, मोहनलाल दत्तक पुत्र बल्लू हि0 1/2 जाति नायक सा. देह खातेदार को ख.न. 2341/4 रकबा 0.09 हैक्ट., ख.न. 2343/4 रकबा 0.17 हैक्ट., कुल किता 2 का कुल रकबा 0.26 हैक्ट.., जो संलग्न नजरी नक्शे मे भूरे रंग से दर्शाया गया है, दी जाती हैं।

अन्तिम डिक्री जारी हो। नजरी नक्शा डिक्री का भाग रहेगा। डिक्री की प्रति पालनार्थ तहसीलदार चौमूं को भेजी जावें।

निर्णय आज दिनांक 19.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर कोर्ट कैम्प मुख्यालय चौमू पर सुनाया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

प्रियव्रत सिह चारण
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी चौमू, जयपुर

उप खण्ड अधिकारी
चौमू जिला–जयपुर

Scanned by CamScanner

मूल वाद में अन्तिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, चौमूं (जयपुर)

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट मुख्यालय चौमूं)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी चौमू व
अजलास प्रियव्रत सिंह चारण आरएएस

1 श्रवण कुमार नायक पुत्र रामू नायक, जाति नायक, निवासी कालाडेरा, तह0 चौमूं, जिला जयपुर।

वादी/प्रार्थी

बनाम

1. सुरजमल पुत्र रामू नायक
2. गीता देवी पुत्री स्व. बल्लू नायक पत्नि ओमप्रकाश

3/1. बन्टी माता स्व. कमला देवी पुत्री स्व. बल्लू नायक
3/2. भगवती माता स्व. कमला देवी पुत्री स्व. बल्लू नायक

4. मोहन पुत्र स्व. बल्लू नायक
   समस्त जाति नायक, निवासी कालाडेरा, तह0 चौमूं जिला जयपुर।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार महोदय, चौमूं तह. चौमूं जिला जयपुर।
6. उपपंजीयक महोदय, चौमूॅं उपपंजीयन कार्यालय, तहसील चौमूॅं, जिला जयपुर।
7. देना बैंक जरिये शाखा प्रबन्धक देना बैंक, शाखा कालाडेरा, तह. चौमूं जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

<u>दावा बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा</u>

मुकदमा नं0 74/2015

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू उभयपक्षकार हाजरी मिनजामिन मुददई रूबरू प्रियव्रत सिंह चारण आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

1. श्रवणकुमार पुत्र रामू जाति नायक सा. देह खातेदार राहिन देना बैंक शाखा कालाडेरा को ख.न. 2341/3 रकबा 0.67 हैक्ट., ख.न. 2343/2 रकबा 0.20 हैक्ट. कुल किता 2 का कुल रकबा 0.87 हैक्ट., जो संलग्न नजरी नक्शे में गहरे हरे रंग से दर्शाया गया है, दी जाती हैं।

2. सुरजमल पुत्र रामू जाति नायक सा. देह खातेदार को ख.न. 2341/5 रकबा 0.02 हैक्ट., ख.न. 2341/6 रकबा 0.42 हैक्ट., ख.न. 2343/6 रकबा 0.22 हैक्ट., ख.न. 2344/2 रकबा 0.21 हैक्ट. कुल किता 4 का कुल रकबा 0.87 हैक्ट.., जो संलग्न नजरी नक्शे मे नीले रंग से दर्शाया गया है, दी जाती हैं।
3. मोहनलाल दत्तक पुत्र बल्लु जाति नायक सा. देह खातेदार को ख.न. 2343/3 रकबा 0. 31 हैक्ट., ख.न. 2343/5 रकबा 0.61 हैक्ट., ख.न. 2344/1 रकबा 0.80 हैक्ट., ख.न. 2342 रकबा 0.02 हैक्ट. कुल किता 4 का कुल रकबा 1.74 हैक्ट.., जो संलग्न नजरी नक्शे मे तोतिया रंग से दर्शाया गया है, दी जाती हैं।
4. श्रवणकुमार पुत्र रामू हि. 1/4 राहिन देना बैंक शाखा कालाडेरा सुरजमल पुत्र रामू हि. 1/4 मोहनलाल दत्तक पुत्र बल्लू हि0 1/2 जाति नायक सा. देह खातेदार को ख.न. 2341/4 रकबा 0.09 हैक्ट., ख.न. 2343/4 रकबा 0.17 हैक्ट., कुल किता 2 का कुल रकबा 0.26 हैक्ट.., जो संलग्न नजरी नक्शे मे भूरे रंग से दर्शाया गया है, दी जाती हैं।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 19.05.2018 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
चौमू जिला–जयपुर

Scanned by CamScanner

मोहर

दस्तखत ...[signature]...
ओहदा.........

मुदई	रूपये	पैसे	मुदाईला	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2		स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा	2		स्टाम्प वकालत नामा	2	
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान	4		मीजान	2	

नोटः– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

[signature]
उप खण्ड अधिकारी
चौमू जिला–जयपुर

Scanned by CamScanner